

17.12.25

पंजाबली पेश हुई वादी यहिसेना अडपक्षिती प्रकरण मे तहसीलदार जिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वादग्रस्त आराजीयात का सहकारेदारो के मध्य विभाजन हो चुका है जिसे वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो जाने से अब इस वाद मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है निर्वाक अरे इजलाल बुनामा गया प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अबुल कलाम अज़ाद)

IAS